कार्यालय सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक
इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय कोरबा (छ0ग0)

निविदा प्रपत्र

क्रमांक –1501

वर्ष 2015 –2016

(जिला चिकित्सालय कोरबा में बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न परीक्षण, एम.आर.डी., पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, ब्लड बैंक माडयूल, दवा वितरण आदि का कम्प्यूटरीकरण हेतु निविदा हेतु)

जारी दिनांक :– 03.06.2015

जमा दिनांक :– 25.06.2015

निविदा फार्म पर नियम एवं षर्ते दर्षाए गये है।

निविदा प्रपत्र : मुल्य 200 / –रु0

प्रति,

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
जिला चिकित्सालय कोरबा छ.ग.

विषय :– बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न परीक्षण, एम.आर.डी., पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, ब्लड बैंक माडयूल एवं दवा वितरण आदि का कम्प्यूटरीकरण हेतु निविदा दर प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका निविदा क्रमांक .... दिनांक........................

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत जिला चिकित्सालय कोरबा छ.ग. में बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न परीक्षण, एम.आर.डी., पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, ब्लड बैंक माडयूल एवं दवा वितरण आदि का कम्प्यूटरीकरण हेतु निविदा आमंत्रित किया गया है। निविदा की समस्त शर्तों का मेरे द्वारा विधिवत् अवलोकन कर लिया गया है एवं मुझे सभी शर्तें स्वीकार है। मेरे द्वारा कम्प्युटरीकरण कार्य हेतु दर निम्नानुसार है :–

दिनांक ....

हस्ताक्षर

निविदाकता फर्म का नाम––

निविदाकर्ता का नाम–––

कार्यालय का पूर्ण पता––

––

––

मोबाइल नं.––

कार्यालय सिविल सर्जन सह् मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय कोरबा (छ.ग.)

निविदा

"बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न परीक्षण, एम.आर.डी., पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, ब्लड बैंक माडयूल, दवा वितरण आदि का कम्प्यूटरीकरण"

जिला चिकित्सालय कोरबा, जिला–कोरबा मे उपचारार्थ आने वाले बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न प्रकार के परीक्षण, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, एम.आर.डी, ब्लड बैंक माडयूल, दवा वितरण के कम्प्यूटरीकरण कार्य आउट सोर्सिग द्वारा कराया जाना है, इस कार्य के लिए कम्प्यूटराईज्ड डाटा बेस तैयार करने हेतु ''Built own and operate'' (BOO) Basis पर इच्छुक फर्मों से निविदा आमंत्रित की जाती है, आउट सोर्सिग फर्म को सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, मेनपावर एवं स्टेषनरी एवं मेन्टेनेंस स्वयं का उपलब्ध कराना होगा।

कम्प्यूटरीकरण हेतु लगाये जाने वाले सॉफ्टवेयर मे निम्न सुविधा होनी चाहिए:–

1. अन्तःरोगी, एवं बाह्य रोगी मरीजों का कम्प्यूटराईज्ड पंजीयन।
2. पंजीयन हेतु बाह्य रोगी मरीजों की संख्या 200–300 प्रतिदिन एवं अन्तःरोगी मरीजों की सख्या 25–50 अपेक्षित है अतः इस मापदंड के अनुरुप सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
3. विभिन्न प्रकार के परीक्षण को कम्प्यूटराईज्ड कर कम्प्यूटराईज्ड रसीद दो प्रतियो मे देना होगा प्रथम प्रति में मरीज प्रति एवं द्वितीय प्रति में पैथोलॉजी प्रति प्रिंट हुआ आना चाहिए।
4. अन्तःरोगी मरीजों की पूरी पेसेन्ट हिस्ट्री एम.आर.डी विभाग में कम्प्यूटराईज्ड करनी होगी, इसके लिए जो कम्प्यूटर लगाया जाएगा वह सर्वर कम्प्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए।
5. पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी विभाग की सभी परीक्षण की रिपोर्टीग कम्प्यूटराईज्ड होनी चाहिए, इसके लिए जो कम्प्यूटर लगाया जाएगा वह सर्वर कम्प्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए।
6. सॉफ्टवेयर में जिला चिकित्सालय मे आने वाले मरीजों की बिमारी के अनुसार रिपोर्टिंग एवं बी.पी.एल./ए.पी.एल./वयोवृद्ध मरीजों के अलग–अलग रिपोर्टिंग को प्रावधान होना चाहिए।
7. जे.एस.एस.के. के अंतर्गत आने वाली गर्भवती महिलाओं व नवजात षिषुओं की रिपोर्टिंग का प्रावधान होना चाहिये।
8. साफ्टवेयर में दवा वितरण विभाग के मेडिसीन डिस्पेन्सिंग रिकार्ड, स्टॉक एण्ट्री सहित समस्त रिर्पोट होना चाहिये।
9. सॉफ्टवेयर मे Multi Level Security होना चाहिए।
10. मरीज के साथ आने वाले अटेन्डर, एवं विजिटर को कम्प्यूटराईज्ड पास देने की सुविधा होनी चाहिए।
11. जे.एस.वाई. योजना के तहत गर्भवती महिला एवं मितानीन को प्रसव के पष्चात् शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राषि का चेक प्रिंटिंग होने की सुविधा होनी चाहिए।

12. किसी भी कारण कम्प्युटर या सर्वर में ब्रेकडाउन होने की स्थिति में निविदाकर्ता फर्म द्वारा साफ्टवेयर में किये जाने वाले सभी कार्य, मेनुअल करना होगा, जो कम्प्युटर सुधार होने के पश्चात्, सभी डाटाओं को कम्प्युटरीकृत करना होगा।
13. निविदाकर्ता द्वारा चिकित्सालय के सभी डाटाओं की गोपनीयता बनाये रखना होगा तथा इस हेतु षपथपत्र देना होगा।

<u>निविदा हेतु नियम एवं शर्तेः—</u>

1. निविदा फर्म का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, इन्कम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स एवं पेन कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदाकर्ता को इस कार्य के लिए न्यूनतम 05 वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
3. अनुभवी निविदाकर्ता जिसके पास षासकीय जिला चिकित्सालय में कम्प्युटरीकरण कार्य का 03 वर्ष या उससे अधिक समय करने का अनुभव है, ऐसे निविदाकर्ता को प्राथमिकता दी जावेगी। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदाकर्ता फर्म का संबंधित कार्य में पिछले दो वर्ष का न्यूनतम रूपये 20.00 लाख का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिये, जिसका सी.ए. से अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा सॉफ्टवेयर में दी जाने वाली सुविधाओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए एवं सर्वर कम्प्यूटर, यूजर कम्प्यूटर, प्रिंटर का कान्फीगरेषन, नेटवर्किगं आदि का विस्तृत विवरण निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. निविदा प्रपत्र के साथ अमानत राषि का रुपये 25000.00 (अक्षरी पच्चीस हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट जो सचिव, जीवनदीप समिति जिला चिकित्सालय कोरबा को देय हो, जमा कराना होगा।
7. निविदाकर्ता को दिये गए अनुपात मे कम्प्यूटर, प्रिंटर, मेनपावर एवं स्टेषनरी स्वयं के व्यय से लगाने होगें, जो 24x7 दिन की अवधि पर कार्य करेंगें।

1.	ओपीडी काउन्टर	3 कम्प्यूटर 3 प्रिंटर 4 आपरेटर (सुबह पाली में 2 आपरेटर) (दोपहर मे 1 एवं रात्रि मे 1 आपरेटर)
2.	एम.आर.डी विभाग	1 कम्प्यूटर 1 प्रिंटर 1 आपरेटर
3.	पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी विभाग	1 कम्प्यूटर 1 प्रिंटर 1 आपरेटर
4.	ब्लड बैंक विभाग	1 कम्प्यूटर 1 प्रिंटर 1 आपरेटर
5.	दवा वितरण विभाग	1 कम्प्यूटर 1 प्रिंटर 1 आपरेटर

8. निविदाकर्ता को चिकित्सालय द्वारा जगह, बिजली, फर्नीचर आदि सुविधा प्रदान की जावेगी।

9. निविदाकर्ता को निविदा तीन भागों मे जमा करना होगा।

अ. तकनीकी भाग

ब. अमानत राषि

स. निविदा प्रपत्र एवं मासिक दर

अ,ब,स तीनो अलग अलग लिफॉफे मे भरा जाएगा एवं तीनो लिफॉफे को एक ही लिफॉफा जिसमें **"बाह्य रोगी, अन्तःरोगी पंजीयन एवं विभिन्न परीक्षण, एम.आर.डी., पैथोलॉजी व रेडियोलॉजी रिपोर्टिंग, ब्लड बैंक माडयूल, दवा वितरण <u>आदि का कम्प्यूटरीकरण हेतु</u>**

<u>निविदा''</u> लिखी होनी चाहिए। लिफाफा **सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय कोरबा, छ.ग.** के कार्यालय में जमा होगा।

10. तकनीकी भाग में निविदा नियम एवं शर्तों की कंडिका क्रमांक 1,2,3,4 एवं 5 से सम्बंधित प्रमाणपत्र लगाने होंगे तकनीकी भाग सही होने पर ही अमानत राषि भाग का लिफाफा खोला जाएगा एवं तकनीकी भाग और अमानत राषि भाग सही होने पर ही निविदा प्रपत्र एवं मासिक दर का लिफॉफा खोला जाएगा।
11. निविदाकर्ता के द्वारा एकत्रित राषि जीवनदीप समिति से संबंधित प्रभारी लेखापाल के पास प्रतिदिन डेली रिपोर्ट के साथ जमा कर पावती प्राप्त करनी होगी।
12. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट अथवा कोरियर के द्वारा ही स्वीकार किया जावेगा।
13. किसी भी परिस्थिति में सेवायें बंद करने पर कम से कम तीन माह पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य होगा।
14. निविदा अवधि के पूर्व बिना नोटिस के सेवाएं समाप्त करने के एवज में सुरक्षा राषि राजसात कर ली जावेगी। इसके लिए किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
15. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने अथवा स्वीकारने का अधिकार समिति सुरक्षित रखता है, इस बाबत् किसी प्रकार की आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
16. निविदा की अवधि एक वर्ष तक की होगी। निविदा के समय बढाने के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता सक्षम होगें।
17. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत देयक का भुगतान षासन द्वारा उपलब्ध कराये गये आबंटन के अनुसार माह में एक बार किया जावेगा।
18. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी दस्तावेज फर्जी पाये जाने पर संबंधित सस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी तथा उक्त फार्म को काली सूची में ड़ाली जावेगी।
19. निविदा फार्म दिनांक 03.06.15 से दिनांक 24.06.15 तक कार्यालीन समय पर दिया जावेगा एवं 25.06.2015 को दोपहर 02.00 बजे जमा लिया जावेगा। यदि किसी निविदाकर्ता द्वारा निविदा प्रपत्र जिले की वेबसाईड से डाउनलोड किया जाता है तो राषि रूपये 200.00 जीवनदीप समिति में जमा कर रसीद सहित निविदा जमा किया जाना होगा।
20. निविदा दिनांक 25.06.2015 को सायं 04.00 बजे जिला चिकित्सालय कोरबा में खोला जावेगा। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय कोरबा छ.ग.